जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय

मांग संख्या 107

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय

क. वसूलियाँ को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:

(करोड़ रुपए)

| | 1 | | | ı | | | ı | | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | . 1 | | - | कराड़ रुपए) |
|--|--------------|--------|------------------|-----------|----------|---------------|----------|---------|---|------------------|---------|--------------|-------------|
| | | | न्तविक 2013-2014 | | 2 | बजट 2014-2015 | | सः | शोधित 2014-2015 |) | | जट 2015-2016 | |
| | मुख्य शीर्ष | आयोजना | आयोजना-भिन्न | जोड़ | आयोजना | आयोजना-भिन्न | जोड़ | आयोजना | आयोजना-भिन्न | जोड़ | आयोजना | आयोजना-भिन्न | जोड़ |
| | राजस्व | 431.69 | 539.25 | 970.94 | 13007.47 | 597.84 | 13605.31 | 5291.09 | 615.44 | 5906.53 | 3465.00 | 629.71 | 4094.71 |
| | पूंजी | 99.05 | -12.57 | 86.48 | 229.53 | 1.80 | 231.33 | 108.91 | -6.12 | 102.79 | 142.00 | -4.28 | 137.72 |
| | जोड़ | 530.74 | 526.68 | 1057.42 | 13237.00 | 599.64 | 13836.64 | 5400.00 | 609.32 | 6009.32 | 3607.00 | 625.43 | 4232.43 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 1. सचिवालय आर्थिक सेवाएं | 3451 | | 55.03 | 55.03 | | 56.12 | 56.12 | | 54.08 | 54.08 | | 59.03 | 59.03 |
| प्रमुख सिचांई | | | | | | | | | | | | | |
| 2. पोलावरण परियोजना प्राधिकरण | 2700 | | | | | | | | | | 100.00 | | 100.00 |
| बोडवाड परिसर महाराष्ट्र सिंचन योजना परियोजना | 3601 | | | | | | | | | | | | |
| ओआईबीएफएमपी के अध्ययन आकलन का प्रभाव | 2700 | | | | | | | | | | | | |
| जोड़-प्रमुख सिचांई | | | | | | | | | | | 100.00 | | 100.00 |
| मध्यम सिंचाई | | | | | | | | | | | | | |
| केन्द्रीय जल आयोग | 2701 | | 162.60 | 162.60 | | 172.91 | 172.91 | *** | 175.24 | 175.24 | ••• | 183.02 | 183.02 |
| | 4701 | | | | | | | | | | | 2.14 | 2.14 |
| | जो.ड | | 162.60 | 162.60 | | 172.91 | 172.91 | | 175.24 | 175.24 | | 185.16 | 185.16 |
| केन्द्रीय मृदा एवं सामग्री अनुसंधान केन्द्र | 2701 | | 9.45 | 9.45 | | 10.83 | 10.83 | | 11.05 | 11.05 | | 11.81 | 11.81 |
| | 4701 | | | | | ··· | | | | | | 0.04 | 0.04 |
| | जो.ङ | | 9.45 | 9.45 | | 10.83 | 10.83 | | 11.05 | 11.05 | | 11.85 | 11.85 |
| 7. केन्द्रीय जल तथा विद्युत अनुसंधान केन्द्र | 2701 | | 39.60 | 39.60 | | 48.11 | 48.11 | | 46.11 | 46.11 | | 50.30 | 50.30 |
| | 4701 | | | | | | | | | | | 0.03 | 0.03 |
| | जो.ड | | 39.60 | 39.60 | | 48.11 | 48.11 | | 46.11 | 46.11 | | 50.33 | 50.33 |
| राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान | 2701 | | 12.80 | 12.80 | | 14.00 | 14.00 | | 14.42 | 14.42 | | 15.43 | 15.43 |
| 9. अनुसंधान और विकास कार्यक्रम | 2701 | 31.37 | | 31.37 | 49.00 | | 49.00 | 34.55 | | 34.55 | 25.00 | | 25.00 |
| , | 4701 | | ··· | | | | | | ··· | | 5.00 | | 5.00 |
| | जो.ड जो.ड | 31.37 | | 31.37 | 49.00 | | 49.00 | 34.55 | | <i>34.55</i> | 30.00 | | 30.00 |
| 10. अन्य | | 01.07 | ••• | 37.07 | 75.00 | ••• | 45.00 | 04.00 | | 54.55 | 30.00 | | 00.00 |
| 70 10.01 बोर्ड और समितियां | 2701 | | 2.82 | 2.82 | | 5.16 | 5.16 | | 5.56 | 5.56 | | 3.62 | 3.62 |
| 10.01 | 4701 | | | | ••• | | | | | 0.10 | ••• | 0.10 | 0.10 |
| | 4/01 | | • | | | ••• | | | 0.10 | 0.10 | | 0.10 | 0.10 |

सं 107/जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय

| | | ı | | | İ | Ì | | ĺ | | . ~ | ı | Ì | | राड़ रुपए) |
|-----|----------------------------------|-------------|--------|--------------------------|-------|--------------|-----------------------|--------|--------|-----------------|-------|--------|-----------------------|------------|
| | | | | स्तविक 2013-2014 स्ति | | | अंजट 2014-2015 | | सं | शोधित 2014-2015 | | 6 | अ जट 2015-2016 | |
| | | मुख्य शीर्ष | आयोजना | आयोजना-भिन्न | जोड़ | | आयोजना-भिन्न | जोड़ | आयोजना | आयोजना-भिन्न | जोड़ | आयोजना | आयोजना-भिन्न | जोड़ |
| | | जो,ङ | ••• | 2.82 | 2.82 | | <i>5.16</i> | 5.16 | ••• | 5.66 | 5.66 | ••• | 3.72 | 3.72 |
| 11. | राज्यों को आयोजना-भिन्न अनुदान | | | | | | | | | | | | | |
| | 11.01 सतलुज-यमुना लिंक नहर | 3601 | | | | | 15.00 | 15.00 | | 0.10 | 0.10 | | 1.00 | 1.00 |
| | परियोजना के लिये सहायता | | | | | | | | | | | | | |
| 12. | जल संसाधन सूचना प्रणाली का विकास | 2701 | 41.45 | | 41.45 | 173.62 | | 173.62 | 54.08 | ••• | 54.08 | 59.00 | ••• | 59.00 |
| | | 2702 | | | | 0.02 | | 0.02 | 0.01 | ••• | 0.01 | 0.01 | ••• | 0.01 |
| | | 3601 | 1.20 | | 1.20 | 50.66 | ••• | 50.66 | 24.72 | | 24.72 | 11.95 | | 11.95 |
| | | 3602 | | | | 0.10 | | 0.10 | 0.10 | | 0.10 | 0.04 | | 0.04 |
| | | 4701 | | | | | | | | | | 10.00 | ••• | 10.00 |
| | | जो.ड | 42.65 | | 42.65 | | | 224.40 | 78.91 | | 78.91 | 81.00 | | 81.00 |
| 13. | अवसंरचना विकास | 2701 | 1.07 | | 1.07 | 0.47 | ••• | 0.47 | 0.60 | | 0.60 | 0.50 | | 0.50 |
| | | 4701 | | | | 2.43 | ••• | 2.43 | 1.32 | | 1.32 | 0.50 | ••• | 0.50 |
| | | जो.ङ | 1.07 | | 1.07 | 2.90 | ••• | 2.90 | 1.92 | | 1.92 | 1.00 | | 1.00 |
| 14. | जल विज्ञान परियोजना | | | | | | | | | | | | | |
| | 14.01 ईएपी घटक | 2701 | 39.50 | | 39.50 | 25.68 | | 25.68 | 19.55 | | 19.55 | | | |
| | | 4701 | | | | | | | | | | | | |
| | | जो,ङ | 39.50 | | 39.50 | <i>25.68</i> | | 25.68 | 19.55 | | 19.55 | | | |
| | 14.02 ईएपी-भिन्न घटक | 2701 | 1.28 | | 1.28 | 5.70 | ••• | 5.70 | 5.00 | | 5.00 | 9.00 | | 9.00 |
| | | 4701 | | | | | ••• | | | ••• | | 1.00 | ••• | 1.00 |
| | | जो.ड | 1.28 | | 1.28 | 5.70 | | 5.70 | 5.00 | | 5.00 | 10.00 | | 10.00 |
| | जोड़- जल विज्ञान परियोजना | | 40.78 | | 40.78 | 31.38 | | 31.38 | 24.55 | | 24.55 | 10.00 | | 10.00 |
| 15. | मानव संसाधन विकास/क्षमता निर्माण | 2701 | 20.48 | | 20.48 | 38.00 | | 38.00 | 23.10 | | 23.10 | 16.60 | | 16.60 |
| | | 4701 | | | | | | | | | | 0.40 | ••• | 0.40 |
| | | 4702 | | | | | | | | | | ••• | ••• | |
| | | जो,ड | 20.48 | | 20.48 | 38.00 | | 38.00 | 23.10 | | 23.10 | 17.00 | | 17.00 |
| 16. | नदी बेसिन प्रबंधन | 2701 | 64.87 | | 64.87 | 107.00 | | 107.00 | 78.00 | | 78.00 | 44.20 | | 44.20 |
| | | 4701 | | | | | | | | | | 1.00 | | 1.00 |
| | | जो.ड | 64.87 | | 64.87 | 107.00 | | 107.00 | 78.00 | | 78.00 | 45.20 | | 45.20 |
| 17. | राष्ट्रीय जल मिशन का कार्यान्वयन | 2701 | 0.71 | | 0.71 | 40.00 | ••• | 40.00 | 1.45 | | 1.45 | 19.00 | | 19.00 |
| | | 4701 | | | | | ••• | | | | | 1.00 | ••• | 1.00 |
| | | जो.ड | 0.71 | | 0.71 | 40.00 | ••• | 40.00 | 1.45 | | 1.45 | 20.00 | | 20.00 |
| 18. | सिंचाई प्रबंधन कार्यक्रम | 2701 | | | | 1.00 | | 1.00 | | | | 1.00 | | 1.00 |
| 19. | बांध पुनर्स्थापना सुधार परियोजना | | | | | | | | | | | | · | |
| | 19.01 ईएपी घटक | 2701 | 4.48 | | 4.48 | 24.00 | | 24.00 | 11.44 | | 11.44 | 23.05 | | 23.05 |
| | | | | | Į. | | | ı | | | l | | | |

सं 107/जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय

(करोड़ रुपए) वास्तविक 2013-2014 संशोधित 2014-2015 **बजट 2015-2016** बजट 2014-2015 आयोजना-भिन्न आयोजना-भिन्न आयोजना-भिन्न मख्य शीर्ष आयोजना-भिन्न आयोजना आयोजना आयोजना जोड आयोजना जोड जोड़ 0.15 4701 0.15 जो.ड 4.48 4.48 24.00 24.00 11.44 11.44 23.20 23.20 19.02 गैर ईएपी घटक 2701 0.11 0.11 6.00 6.00 2.86 2.86 5.75 5.75 4701 0.05 0.05 जो.ड 0.11 0.11 6.00 6.00 2.86 2.86 5.80 5.80 जोड़- बांध पुनर्स्थापना सुधार परियोजना 30.00 14.30 29.00 29.00 4.59 4.59 30.00 14.30 राज्य को आयोजना अनुदान महाराष्ट्र बोडवड परिसर सिनचेन 20.01 3601 200.00 200.00 66.67 1.00 1.00 66.67 ... योजना परियोजना समग्र सिंचाई लाभ और बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम राज्य योजना 21.01 7729.22 7729.22 823.80 3601 2821.65 2821.65 823.80 ... संघ राज्य योजना 21.02 3602 . . . पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ के 21.03 2552 1263.00 1263.00 454.91 454.91 176.20 176.20 लिए योजनाओं के अधीन प्रावधान जोड़- समग्र सिंचाई लाभ और बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम 3276.56 8992.22 8992.22 3276.56 1000.00 1000.00 ... एआईबीएफएमपी कार्यक्रम का प्रभाव मूल्यांकन 2701 50.00 50.00 0.05 0.05 5.00 5.00 अध्ययन पोलावरम परियोजना प्राधिकरण 2701 250.00 250.00 250.00 250.00 प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना 2552 50.00 50.00 100.00 100.00 ... 3601 950.00 950.00 4.00 4.00 900.00 900.00 जो.ड 1000.00 1000.00 4.00 4.00 1000.00 1000.00 नदियों को परस्पर जोड़ने के लिए डीपीआर 2701 100.00 100.00 10.00 10.00 100.00 100.00 ... जोड़-मध्यम सिंचाई 227.27 433.79 252.58 2607.69 206.52 11115.90 266.01 11381.91 3864.06 4116.64 2340.20 267.49 लघु सिंचाई केन्द्रीय भौमजल बोर्ड 2702 127.21 127.21 136.35 136.35 160.97 160.97 152.05 152.05 4702 0.01 0.01 ---जोड़ 127.21 127.21 136.35 136.35 160.97 160.97 152.06 152.06 भौम जल प्रबंधन और विनियमन 2702 80.36 80.36 325.00 325.00 143.00 143.00 148.00 148.00 4702 15.00 15.00 जो,ड 80.36 80.36 325.00 325.00 143.00 143.00 163.00 163.00 अवसंरचना विकास 4702 3.43 3.43 48.60 48.60 5.49 5.49 9.00 9.00 मानव संसाधन विकास/क्षमता निर्माण 2702 5.11 5.11 7.00 7.00 6.00 6.00 6.60 6.60 4702 0.40 0.40 जो,ड 5.11 5.11 7.00 7.00 6.00 6.00 7.00 7.00 जोड़-लघु सिंचाई 88.90 127.21 216.11 380.60 136.35 516.95 154.49 160.97 315.46 179.00 152.06 331.06 बाढ़ नियंत्रण

| | | | i | | | ì | | | i | | | | (' | <i>कराड़ रुपए)</i> |
|-----------|--|--------------|--------|------------------------------|--------|--------|-----------------------|--------|--------|-----------------|--------|--------|---------------|--------------------|
| | | | वार | . तिविक 2013-2014 | | 7 | ਭ ਤਟ 2014-2015 | | सं | शोधित 2014-2015 | | 7 | बजट 2015-2016 | |
| | | मुख्य शीर्ष | आयोजना | आयोजना-भिन्न | जोड़ | आयोजना | आयोजना-भिन्न | जोड़ | आयोजना | आयोजना-भिन्न | जोड़ | आयोजना | आयोजना-भिन्न | जोड़ |
| 30. | केन्द्रीय जल आयोग | 2711 | | 77.52 | 77.52 | | 84.32 | 84.32 | | 86.20 | 86.20 | | 90.60 | 90.60 |
| | | 4711 | | ••• | | | | | | ••• | | | 0.94 | 0.94 |
| | | जो.ड | | 77.52 | 77.52 | | 84.32 | 84.32 | | 86.20 | 86.20 | | 91.54 | 91.54 |
| | पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्रों में संकटकालीन बाढ़ बचाव निर्माण कार्य <i>बाढ़ नियंत्रण की अन्य स्कीमें</i> | 7601 | | | | | 3.00 | 3.00 | | 1.78 | 1.78 | | 0.10 | 0.10 |
| 32. | 32.01 बाढ पूर्वानुमान | 0744 | 04.07 | | 04.07 | 00.00 | | 00.00 | 00.00 | | 00.00 | 05.00 | | 05.00 |
| | 32.01 बार्ड पूर्वानुमान | 2711 | 24.67 | | 24.67 | 90.00 | ••• | 90.00 | 26.00 | | 26.00 | 35.00 | | 35.00 |
| | | 4711 | | | | | | | | | | 10.00 | | 10.00 |
| | | जोड़ | 24.67 | | 24.67 | 90.00 | | 90.00 | 26.00 | | 26.00 | 45.00 | ••• | 45.00 |
| | 32.02 नदी प्रबंधन क्रियाकलाप और सीमा क्षेत्रों से संबंधित निर्माण कार्य | 2711 | 13.74 | | 13.74 | 24.00 | | 24.00 | 44.56 | | 44.56 | 59.50 | | 59.50 |
| | | 3601 | 16.29 | ••• | 16.29 | 96.00 | ••• | 96.00 | 57.44 | | 57.44 | 40.00 | | 40.00 |
| | | 3602 | | • | | 55.00 | ••• | 55.00 | 13.26 | ••• | 13.26 | 1.00 | ••• | 1.00 |
| | | 4711 | *** | ••• | | ••• | ••• | *** | | | | 1.50 | | 1.50 |
| | . 6 | जो.ड | 30.03 | | 30.03 | 175.00 | | 175.00 | 115.26 | | 115.26 | 102.00 | | 102.00 |
| | 32.03 अवसंरचना विकास | 4711 | 5.80 | | 5.80 | 27.50 | | 27.50 | 17.10 | | 17.10 | 6.00 | | 6.00 |
| | 32.04 नदी बेसिन प्रबंधन | 2711 | 85.00 | | 85.00 | | | | | | | | | |
| | जोड़- बाढ़ नियंत्रण की अन्य स्कीमें | | 145.50 | | 145.50 | 292.50 | | 292.50 | 158.36 | | 158.36 | 153.00 | | 153.00 |
| जोड़-बाढ़ | | | 145.50 | 77.52 | 223.02 | 292.50 | 87.32 | 379.82 | 158.36 | 87.98 | 246.34 | 153.00 | 91.64 | 244.64 |
| 33. | पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ के लिए योजन प्रावधान | नाओं के अधीन | | | | | | | | | | | | |
| | 33.01 अनुसंधान और विकास कार्यक्रम | 2552 | | | | 1.00 | | 1.00 | | | | | | |
| | | 4552 | | | | | | | | | | | | |
| | | जो.ड | | | | 1.00 | | 1.00 | | | | | | |
| | 33.02 जल संसाधन सूचना प्रणाली का विकास | 2552 | | | | 1.00 | | 1.00 | 1.09 | | 1.09 | | | |
| | 33.03 भूमिगत जल प्रबंधन और विनियमन | 2552 | | | | | | | | | | | | |
| | 33.04 बाढ़ पूर्वानुमान | 2552 | | | | 10.00 | | 10.00 | 4.00 | | 4.00 | 5.00 | | 5.00 |
| | | 4552 | | | | | | | | | | | | |
| | | जो,ड | | | | 10.00 | | 10.00 | 4.00 | | 4.00 | 5.00 | | 5.00 |
| | 33.05 नदी प्रबंधन क्रियाकलाप और सीमा क्षेत्रों से संबंधित निर्माण कार्य | 2552 | | | | | | | | | | | | |
| | 33.06 अवसंरचना विकास | 4552 | | | | 1.00 | | 1.00 | | | | 1.00 | | 1.00 |
| | 33.07 मानव संसाधन विकास/क्षमता निर्माण | 2552 | | | | 5.00 | | 5.00 | | | | 5.00 | | 5.00 |
| | 33.08 सिंचाई प्रबंधन कार्यक्रम | 2552 | | ••• | | | ••• | | | | | | | |
| | 33.09 नदी बेसिन प्रबंधन | 2552 | | | ••• | 143.00 | | 143.00 | 80.00 | | 80.00 | 73.80 | | 73.80 |

| | | | - | | | - | | , | - | | | 1 | (| करोड़ रुपए) |
|----------|--|-------------|---------------|------------------|---------|-----------------|----------------|----------|---------------|-----------------|----------|----------------|------------------------|-------------|
| | | | वार | स्तविक 2013-2014 | | 3 | बजट 2014-2015 | | संध | शोधित 2014-2015 | i | - | ਭ ਤ ਟ 2015-2016 | |
| | | मुख्य शीर्ष | आयोजना | आयोजना-भिन्न | जोड़ | आयोजना | आयोजना-भिन्न | जोड़ | आयोजना | आयोजना-भिन्न | जोड़ | आयोजना | आयोजना-भिन्न | जोड़ |
| | | 4552 | | ••• | | | | | | | | | | |
| | | जो.ङ | | | | 143.00 | | 143.00 | 80.00 | | 80.00 | 73.80 | | 73.80 |
| | जोड़- पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ के लिए | योजनाओं के | | | | 161.00 | | 161.00 | 85.09 | | 85.09 | 84.80 | | 84.80 |
| | अधीन प्रावधान | | | | | | | | | | | | | |
| | वहन सेवाएं | | | | | | | | | | | | | |
| 34. | फरक्का बैराज परियोजना | 3075 | | 52.22 | 52.22 | | 55.04 | 55.04 | | 61.71 | 61.71 | 20.00 | 62.85 | 82.85 |
| | | 5075 | 89.82 | | 89.82 | 150.00 | | 150.00 | 85.00 | | 85.00 | 80.00 | 0.36 | 80.36 |
| | | 5075 | | -12.57 | -12.57 | | -1.20 | -1.20 | | -8.00 | -8.00 | | -8.00 | -8.00 |
| | | कुल | 89.82 | <i>39.65</i> | 129.47 | 150.00 | 53.84 | 203.84 | 85.00 | 53.71 | 138.71 | 100.00 | <i>55.21</i> | 155.21 |
| पारिस्थि | तिकी एवं पर्यावरण | | | | | | | | | | | | | |
| 35. | | 3435 | | | | | | | | | | | | |
| | 35.01 ईएपी घटक | 3435 | | | | | | | 166.00 | | 166.00 | 408.00 | | 408.00 |
| | 35.02 गैर-ईएपी घटक | 3435 | | | | 537.00 | | 537.00 | 105.00 | | 105.00 | 138.00 | | 138.00 |
| | 35.03 ईएपी घटक | 3601 | | ••• | | | | | 110.00 | | 110.00 | 1.00 | ••• | 1.00 |
| | 35.04 गैर-ईएपी घटक | 3601 | | ••• | | ••• | | | | | ••• | 1.00 | | 1.00 |
| | 35.05 ईएपी घटक | 3602 | | ••• | | ••• | | | 72.00 | | 72.00 | 1.00 | | 1.00 |
| | 35.06 गैर-ईएपी घटक | 3602 | | ••• | | | | | | | | 1.00 | | 1.00 |
| | जोड़- राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना | | | | | 537.00 | | 537.00 | 453.00 | | 453.00 | 550.00 | | 550.00 |
| 36. | घाट निर्माण कार्य तथा नदी के सम्मुख भाग का सौंदर्यीकरण | 3435 | | | | 100.00 | | 100.00 | 100.00 | | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
| | | 5425 | | ••• | | | | ••• | ••• | | | | ••• | |
| | | जो.ड | | ••• | | 100.00 | | 100.00 | 100.00 | | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
| 37. | राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की जल परियोजनाएं | 3435 | | ••• | | 500.00 | | 500.00 | 500.00 | | 500.00 | ••• | | |
| | | 5425 | | ••• | | ••• | | | | | ••• | ••• | | |
| | | जो.ड | | | | 500.00 | | 500.00 | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 38. | राष्ट्रीय गंगा योजना | 3435 | | ••• | | 1500.00 | | 1500.00 | 1500.00 | | 1500.00 | 2100.00 | | 2100.00 |
| | | 5425 | | ••• | | | | | | | | | | |
| | 38.01 घटा- राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा कोष से प्राप्त की गई राशि | 3435 | | | | -1500.00 | | -1500.00 | -1500.00 | | -1500.00 | -2100.00 | | -2100.00 |
| | | कुल | | | | | | | | | | | | |
| | स्थितिकी एवं पर्यावरण | | | | | 1137.00 | | 1137.00 | 1053.00 | | 1053.00 | 650.00 | | 650.00 |
| कुल जोड़ | | | <i>530.74</i> | 526.68 | 1057.42 | <i>13237.00</i> | 599.64 | 13836.64 | 5400.00 | 609.32 | 6009.32 | <i>3607.00</i> | 625.43 | 4232.43 |
| | | विकास शीर्ष | बजट सहायता | आं. ब. बा. सं. | जोड़ | बजट सहायता | आं. ब. बा. सं. | जोड़ | बजट सहायता | आं. ब. बा. सं. | जोड़ | बजट सहायता | आं. ब. बा. सं. | जोड़ |

| | विकास शीर्ष | बजट सहायता | आं. ब. बा. सं. | जोड़ | बजट सहायता | आं. ब. बा. सं. | जोड़ | बजट सहायता | आं. ब. बा. सं. | जोड़ | बजट सहायता | आं. ब. बा. सं. | जोड़ |
|--|-------------|---------------|----------------|--------|----------------------|----------------|----------|----------------------|----------------|---------|----------------------|----------------|---------|
| ग. योजना परिव्यय | | | | | | | | | | | | | |
| केन्द्रीय योजना: | | | | | | | | | | | | | |
| 1. मध्यम सिचाई | 12701 | 206.52 | | 206.52 | 1123.68 | | 1123.68 | 583.50 | | 583.50 | 340.20 | | 340.20 |
| 2. लघु सिंचाई | 12702 | 88.90 | | 88.90 | 380.60 | | 380.60 | 154.49 | | 154.49 | 179.00 | | 179.00 |
| बाढ़ नियंत्रण और जल निकासी | 12711 | 145.50 | | 145.50 | 292.50 | | 292.50 | 158.36 | | 158.36 | 153.00 | | 153.00 |
| 4. अन्य परिवहन सेवाएं | 13075 | 89.82 | ••• | 89.82 | 150.00 | | 150.00 | 85.00 | | 85.00 | 100.00 | | 100.00 |
| 5. पूर्वोत्तर क्षेत्र | 22552 | ••• | | | 161.00 | | 161.00 | 85.09 | | 85.09 | 84.80 | | 84.80 |
| पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण | 13435 | | | | 1137.00 | | 1137.00 | 1053.00 | | 1053.00 | 650.00 | | 650.00 |
| 7. प्रमुख सिंचाई | 12700 | | | | | | | | | | 100.00 | | 100.00 |
| जोड़ - केन्द्रीय योजना | | 530.74 | | 530.74 | 3244.78 | | 3244.78 | 2119.44 | | 2119.44 | 1607.00 | | 1607.00 |
| राज्य योजनाः | | | | | | | | | | | | | |
| 1. त्वरित सिंचाई लाभ और बाढ़ प्रबंध कार्यक्रम | 43601 | | | | 8992.22 | | 8992.22 | 3276.56 | | 3276.56 | 1000.00 | | 1000.00 |
| 2. प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना | 43601 | | | | 1000.00 | | 1000.00 | 4.00 | | 4.00 | 1000.00 | | 1000.00 |
| जोड़ - राज्य योजना | | | | | 9992.22 | | 9992.22 | 3280.56 | | 3280.56 | 2000.00 | | 2000.00 |
| संघ राज्य क्षेत्र योजना : | | | | | | | | | | | | | |
| संघ राज्य क्षेत्र योजना (विधानमंडल के साथ) | | | | | | | | | | | | | |
| जोड़ - संघ राज्य क्षेत्र योजना | | | | | | | | ••• | ••• | | | ••• | |
| जोड़ | | 530.74 | | 530.74 | 13237.00 | | 13237.00 | 5400.00 | ••• | 5400.00 | 3607.00 | ••• | 3607.00 |

- 1. **सचिवालय-आर्थिक सेवाएं:** मंत्रालय के सचिवालय व्यय हेतु गैर-योजना प्रावधान है ।
- 2. **पोलावरम परियोजना प्राधिकरण:** मंत्रिमंडल ने हाल ही में आंध्र प्रदेश पुर्नगठन अधिनियम, 2014 के अंतर्गत पोलावरम परियोजना प्राधिकरण के गठन को अनुमोदित किया है जिसे केंद्र सरकार द्वारा वित पोषित किया जाएगा।
 - 5. **राष्ट्रीय जल अकादमी:** केंद्रीय जल आयोग हेतु प्रावधान किया गया है।
 - 9. जल क्षेत्र संबंधी अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रम: स्कीम के मुख्य उद्देश्य हैं :
- (i) देश की जल संसाधनों से संबंधित समस्याओं का समाधान खोजना ; उपलब्ध प्रौद्योगिकी तथा इंजीनियरिंग पद्धितयों तथा प्रक्रियाओं में सुधार करना।(ii) राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय संगठनों से संगत सूचना एकत्र करना अंतराल को कम करने हेतु उपयुक्त कार्यविधि तैयार एवं कार्यान्वित करना तथा ज्ञान संबंधी अंतराल को निर्धारित करना; (iii) जल संसाधन क्षेत्र में देश के विभिन्न संस्थानों द्वारा आरंभ किए जाने वाले अनुसंधान कार्यकलाप तैयार, समन्वित करना तथा वित्तपोषण हेतु उनकी सिफारिश करना। (iv) पत्रिकाएं, अनुसंधान समाचार/डाइजेस्ट प्रकाशित कर संगोष्टियों/सम्मेलनो/कार्यशालाओं का प्रबंध

एवं आयोजना कर विषय से संबंधित सूचना का प्रचार तथा सोच को प्रोत्साहित करना। (v) जल क्षेत्र में शैक्षिक, प्रशिक्षण तथा मानव संसाधन विकास कार्यक्रमों को बढ़ावा देना।

- 12. **जल संसाधन सूचना प्रणाली का विकास:** जल संसाधन सूचना प्रणाली संबंधी इस स्कीम में मुख्य रूप से मौजूदा प्रणाली से होकर प्रवाहित होने वाले आंकड़ों को संयोजित करके राष्ट्रीय तथा राज्य स्तर पर डेटावेश और डेटावेंक स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया है।
- 14. जल विज्ञान परियोजना: जल विज्ञान परियोजना चरण-III (एच.पी.-III)में भाग लेने वाले तेरह राज्यों और आठ केन्द्रीय संगठनों में जल संसाधन आयोजना तथा प्रबंधन संबंधी सभी क्रियान्वयन अभिकरणों द्वारा जल विज्ञान सूचना तंत्र के सतत् एवं कारगर प्रयोग को बढ़ाना और प्रोत्साहन प्रदान करना।
- 15. **मानव संसाधन विकास/क्षमता निर्माण:** इसमें चार घटक अर्थात 1. सूचना, शिक्षा एवं संचार (आईईसी), 2. राष्ट्रीय जल अकादमी (एनडब्यूए), 3. राजीव गांधी राष्ट्रीय भूमि जल प्रशिक्षण संस्थाएन (आरजीआई) एवं 4. क्षमता निर्माण कार्यक्रम शामिल हैं।

- 16. **नदी बेसिन प्रबंधन:** नए नाम की इस स्कीम को चल रही दो स्कीरमों नामत: नदी बेसिन संगठन और जल संसाधन विकास स्कीम का अन्वे षण, को मिलाकर वित्तींय वर्ष 2013-14 के दौरान बनाया गया है। योजना भी, केन्द्रीय जल आयोग के पुनर्गठन और ब्रह्मपुत्र बोर्ड आदि की गतिविधियों में शामिल हैं।
- 17. **राष्ट्रीय जल मिशन का कार्यान्वयन:** भारत सरकार द्वारा शुरू की गई जलवायु परिवर्तन संबंधी राष्ट्रीय कार्य योजना ने आठ राष्ट्रीय मिशनों, जिसमें अन्य बातों के साथ साथ "राष्ट्रीय जल मिशन" भी शामिल है, के संस्थानीकरण के माध्यम से जलवायु परिवर्तन के प्रभाव की चुनौतियों से पार पाने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया को अभिज्ञात किया है। राष्ट्रीय जल मिशन का लक्ष्य "एकीकृत जल संसाधन विकास और प्रबंधन के माध्यम से राज्य के बाहर और भीतर दोनों जगहों पर जल का संरक्षण, जल की बर्बादी में कमी लाना और इसका अधिक समान वितरण सुनिश्चित करना है।
- 18. **सिंचाई प्रबंधन कार्यक्रम:** सिंचाई प्रबंधन कार्यक्रम XIIवीं पंचवर्षीय योजना में 10000.00 करोड़ रुपए के प्रस्तावित परिव्यय से शरू की गई एक नई स्कीम है।
- 19. **बांध पुनर्स्थापना सुधार परियोजना:** सरकार ने विश्व बैंक की सहायता वाली बाँध पुनर्स्थापना एवं सुधार परियोजना (डीआरआईपी) के कार्यान्वयन के लिए स्कीम तैयार की है जिसके तहत केरल, मध्य प्रदेश, औडिशा और तिमलनाडु राज्यों में 223 बांधों के पुनर्स्थापना प्रारंभ करने का प्रस्ताव है इस, परियोजना से चूनिदां मौजूदा बांधों के संचालन निष्पादन में सुधार होगा और घटते जोखिमों के साथ सुरक्षा बढ़ेगी।
- 20.01. **महाराष्ट्र की बोडवाड़ परिसर सिंचन योजना परियोजना:** यह योजना प्रावधान महाराष्ट्र की बोडवाड़ सिंचाई परियोजना के लिए विशेष सहायता देने के लिए है।
- 21. **त्वरित सिंचाई लाभ एवं बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम:** इस स्कीम के अंतर्गत राज्यों द्वारा चलाई जा रही बड़ी, मध्यम और छोटी परियोजनाओं को वित्त पोषित करने और साथ ही राष्ट्रीय परियोजनाओं, कमान क्षेत्र विकास तथा प्रबंधन, बाढ़ प्रबंधन तथा मरम्मत, जल निकायों का नवीकरण तथा पुनरुद्धार के लिए सहायता प्रदान करने का प्रावधान किया गया है।
 - 24. प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना:
- 25. **नदियों को आपस में जोड़ने हेतु विस्तृत परियोजना रिपोर्ट:** यह प्रावधान नदियों को आपस में जोड़ने हेतु विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए किया गया है।
- भूमि जल प्रबंधन तथा विनियमन: 12वीं योजना के दौरान प्रस्तावित मुख्य कार्य-कलाप इस प्रकार होंगे :
 (i) जलभृत मानचित्रीकरण (ii) भूमि जल प्रबोधन प्रेषण कुओं का सुदृढ़ीकरण। XII वीं योजना
- 32.01. **बाढ़ पूर्वानुमान:** बाढ़ पूर्वानुमान को, बाढ़ संभावित क्षेत्रों को पहले से चेतावनी देकर बाढ़ प्रबंधन के लिए एक कारगर उपाय के तौर पर जाना जाता है। इस योजना के अंतर्गत केंद्रीय जल आयोग को अंतराज्य नदियों पर जल विज्ञानीय प्रेक्षणों के अनुरक्षण, आधुनिकीकरण तथा सुदृढ़ीकरण कार्यों में सहायता दी जाती है।

- 32.02. **सीमावर्ती क्षेत्रों से संबंधित नदी प्रबंधन कार्यकलाप:** इस योजना के अंतर्गत पड़ोसी देशों के साथ संयुक्त जल विज्ञानीय प्रेक्षण तथा नदी संबंधी आंकड़ों की भागीदारी लागत पर व्यय किया जाता है।
- 34. **फरक्का बैराज परियोजना:** XIIवीं योजना के दौरान गंगा/पदमा और भागीरथी नदियों पर एफलक्स बंध और गाईड बंधों सहित सभी क्षतिग्रस्त फाटकों को बंद और खोलने की अतिरिक्त गतिविधियों/नदी प्रशिक्षण/तटीय सुरक्षा कार्य पूरा करने का प्रस्ताव किया गया है।
- 35. **राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना:** यह प्रावधान राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के लिए किया गया है। कार्यक्रम सुपुर्दगी में अधिक दक्षता लाने के लिए इस कार्यक्रम को पर्यावरण तथा वन मंत्रालय से हटाकर जल संसाधन मंत्रालय को अंतरित कर दिया गया है।
- 36. **घाट निर्माण तथा नदी के सम्मुख भाग का सौन्दर्यीकरण:** यह प्रावधान नदी के सम्मुख भाग के विकास तथा उनकी घाटों के सौन्दर्यीकरण के लिए किया गया है।
- 38. **राष्ट्रीय गंगा योजना:** यह कार्यक्रम गंगा की सफाई के लिए शुरू किया गया है। इसके लिए राशि राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा निधि (एनसीईएफ) से प्राप्त की जानी है।